तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज शैराराम बनाम भैराराम आदि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.6.2021	पत्रावली पेश हुई । उभय पक्ष उपस्थित । अवलोकन किया गया । प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही मौजा हाफासर के खसरा नम्बर 472/147 जो पूराने खसरा नम्बर 136 से बने हैं की भूमि प्रार्थी को विधिवत आवंटन हैं। जिस पर प्रार्थी निरन्तर काबिज काश्त है। दिनांक 14.09.2020 को अप्रार्थी संख्या 1 शैराराम पुत्र लाधुराम ने कूटरचित दस्तावेज मुखत्यारनामा मदनलाल पुत्र शैराराम उर्फ भैराराम नाम से उप पंजीयक लूनकरनसर से तस्दीक करवाया तथा इसी आधार पर दिनांक 18.09.2020 को जरिये विकय पत्र अप्रार्थी संख्या 2 को बैचान कर दिया । अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से ग्राम हाफासर के खसरा नम्बर 457/152 तादादी 12.65 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं। अप्रार्थी संख्या 2 विकय पत्र के आधार पर प्रार्थी की भूमि पर जबरन काबिज होकर प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में यदि अप्रार्थी संख्या 2 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षतिकारित सम्भावित हैं। प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष का है । अतः अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थी विरूद्ध अप्रार्थीगण इस उमर की फरमाई जावे की अप्रार्थीगण प्रार्थी के ग्राम हाफासर के खसरा नम्बर 472/147 की तादादी 12.65 हैक्टेयर भूमि पर चले आ रहे कब्जा काश्त में बेजा दखलांदाजी नहीं करे ना ही जबरन बेदखल करे ना ही आराजी मुतनाजा को रहन बेय या दिगर तरीके से हस्तान्तरित करे ना ही कोई ऐसा तर्क या फेल करे जिससे प्रार्थी हक अधिकारों पर विपरित असर पड़ता हों। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सून कर दिनांक 30.09.2020 को अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रश्नगत भूमि मौजा रोही हाफासर के खसरा नम्बर 472/147 की तादादी 12.65 हैक्टेयर विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी की गई तथा अप्रार्थीगण को तलबी के आदेश पारित किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से श्री रामकरण मूण्ड अधिवक्ता ने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार किया । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई। सर्व प्रथम विद्धान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस प्रारम्भ करते हुए प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि उसके नाम से रोही मौजा हाफासर के खसरा नम्बर 136 की तादादी 50 बीघा बारानी भूमि का आवंटन हुआ जिसके भू प्रबन्ध विभाग द्वारा पुराने [illegible] 136 के नये खसरा नम्बर 472/147 में 12.65 हैक्टेयर [illegible] प्रार्थी आवंटन की दिनांक से आज दिनांक तक [illegible] काश्त है।	

उपखण्ड अधिकारी लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 10:52:38 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

जबकि अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 में वर्णित फर्जी मुख्त्यारनामा दिनांक 14.09.2020 को तस्दीक करवाकर दिनंक 18.09.2020 को फर्जी मुख्त्यारनामा के आधार पर बेचान कर दिया हैं। प्रार्थी को प्रथम बार आवटंन हुआ है जिसमें भैराराम पुत्र लाधूराम सांसी के नाम का रिकार्ड में अंकन हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ने फर्जी मुखत्यारनामा के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 को बेचान कर दिया। अप्रार्थी 2 इसी सैल डीड के जरिये प्रार्थी की आवंटित भूमि पर काबिज होकर प्रार्थी को जबरन मौका पर से बेदखल करने पर आमादा हैं। अप्रार्थी संख्या 1 को ग्राम हाफासर के खसरा नम्बर 457/152 तादादी 12.65 हैक्टेयर भूमि राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हैं। जबकि प्रार्थी की भूमि के खसरा नम्बर 472/147 की तादादी 12.65 हैक्टेयर इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 न फर्जी दस्तावेज शेराराम उर्फ भैराराम तैयार कर प्रश्नगत भूमि का बेचान मदनलाल पुत्र शेराराम उर्फ भैराराम के नाम फर्जी मुखत्यारनामा तैयार कर भूमि का बेचान कर दिया है ।इस प्रकार मुखत्यार नामा के आधार पर किया गया बेचान प्रारम्भ से प्रभाव शुन्य व निष्प्रभावी है जिसके लिए पृथक से दावा पेश किया है जिसे प्रार्थी को अपने पक्ष में निर्णय की पूरी पूरी उम्मीद हैं। अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति कारित होने की पूरी संभावना है प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष का बनता है तथा सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष का हैं।

वकील प्रार्थी की बहस के प्रत्युत्तर में विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के वकील ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 की 5वीं पंक्ति में निरन्तर कब्जा काश्त बाबत कोई साक्ष्य पेश नहीं किया हैं। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना में कुट रचित दस्तावेज मुखत्यार नामा व विक्रयपत्र को निस्प्रभावी करार देते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने हेतु निवेदन किया है मुखत्यार नामा व विक्रय पत्र को निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है न्यायालय हाजा का अधिकार क्षेत्र में नहीं होने से प्रार्थी को किसी प्रकार अनुतोष देय नहीं हैं। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये–

अप्रार्थी वकील द्वारा पेश दृष्टान्त –

1. RRT 2021 सरकार बनाम सुल्तान आदि
2. RRT 2020 प्रेम बनाम जयपाल

वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस को जारी रखते हुए पुनः कथन किया कि बारानी भूमि का आवटंन उसी गांव के निवासी को होता है जबकि प्रार्थी ग्राम बरसिंगसर तहसील बीकानेर का वासिन्दा है प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया साबित नहीं होता है तथा नाही मौका पर प्रार्थी का कब्जा साबित होता हैं। प्रार्थी ने अपने पक्ष में किसी प्रकार का दस्तावेज पेश नही किया है [illegible] कूडीवाली का पेश किया है जो नवीनतम है। इसके [illegible] स्त दस्तावेज यथा राशन कार्ड जनआधार [illegible] के प्रस्तुत किये हैं। प्रार्थी [illegible] अपना आवटन साबित कर अस्थाई निषे[illegible] काबिज होने हेतु प्रयासरत हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 10:52:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

वकील अप्रार्थीगण की बहस के प्रत्युतर में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि मूल आवंटन पत्रावली शामिल करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। प्रार्थी का भौतिक कब्जा हैं। जहां तक वकील अप्रार्थीगण ने बहस में कथन किया है कि प्रार्थी ग्राम बरसिंगसर का निवासी है आवंटन के समय 1980 में डूडीवाली गावं का निवासी होने के कारण आवटंन हुआ था। 1971 की वोटरलिस्ट में पिता का नाम ग्राम डूडीवाली में दर्ज है राशन कार्ड, पेन्शन प्रमाण पत्र आधार कार्ड , जन आधार कार्ड डूडीवाली का है अब नया बनाया हैं। जहां तक क्षैत्राधिकार का प्रश्न है राजस्व न्यायालय को विक्रय पत्र निरस्त करने की शक्तियां प्रदत है वकील प्रार्थी ने बहस के समय निम्न दृष्टान्त पेश किये– 1. RRD 2010 बुटीराम आदि बनाम जयन्ती देवी

2. RRD 1999 बचन सिंह बनाम रामचन्द्र सिंह

3. RRD 2000 परमोली बनाम गोपी

अंत मे वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी शैराराम उर्फ भैराराम पुत्र लाधूराम ग्राम डूडीवाली का निवासी होने तथा शेराराम व भैराराम एक ही व्यक्ति होने का सरपंच ग्राम पंचायत सोढवाली व ग्राम के मौजिज व्यक्तियों के हस्ताक्षर युक्त शपथ पत्र के हवाले से कथन किया कि शेराराम व भैराराम एक ही व्यक्ति है भैराराम निवासी बरसिंगसर पिता के समान नाम का फायदा उठाकर भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये काबिज होकर अप्रार्थी संख्या 2 को मौका पर से बेदखल करना चाहता हैं। मौका पर प्रार्थी का कब्जा काश्त साबित नहीं होता है तथा ना ही दस्तावेज के आधार पर आवंटन साबित होता हैं। प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष का नहीं बनता है, ना ही सुविधा का सन्तुलन अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में अपूर्तनीय क्षति संभावित प्रतीत नहीं होती हैं। अतः प्रार्थना पत्र 212 खारिज फरमाया जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस का मनन किया प्रस्तुत दस्तावेजात एवं न्यायिक दृष्टान्तों का अध्ययन किया। प्रार्थी रोही ग्राम हाफासर के खसरा नम्बर 472/147 की तादादी 50 बीघा बारानी हाल 12.65 हैक्टेयर पर अपना कब्जा काश्त साबित नहीं कर पाया है जब कब्जा काश्त साबित नहीं होता है तो बेदखली पर प्रश्न गौण हो जाता हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज में यह कही साबित नहीं होता है कि प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में अपूर्तनीय क्षति संभावित है प्रकरण प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष का प्रमाणित नहीं है तथा ना ही सुविधा का सन्तुलन । वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर पूर्णतया लागू नहीं होते हैं। लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट 1955 दिनांक 30.09.2020 से एकतरफा तौर पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती हैं। आदेश आज दिनांक 24.06.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/06/21

(भागीरथ शाख)
उपखण्ड अधिकारी
लूनकरनसर

उपखण्ड अधिकारी
लूणकरणसर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Shakh
Date: 2021.07.29 10:52:38 IST
Reason: SelfAttested